



जनपद आजमगढ़

थाना देवगांव व थाना कोतवाली पुलिस की साइबर टीम की प्रभावी कार्रवाई

साइबर फ्रॉड के मामलों में पीड़ितों को कुल ₹54,407/- की धनराशि वापस करायी गयी

1930 पर शिकायत के बाद त्वरित कार्रवाई, फ्रॉड की धनराशि होल्ड कराकर पीड़ितों के खातों में कराया गया रिफंड

साइबर अपराध के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड के मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना देवगांव एवं थाना कोतवाली की साइबर टीम द्वारा 9 पीड़ितों की कुल ₹54,407/- (चौवन हजार चार सौ सात रुपये) की धनराशि वापस करायी गयी।

थाना देवगांव क्षेत्रान्तर्गत आवेदक रामनरायन यादव निवासी रणमो के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के खाते से फोन-पे के माध्यम से ₹65,300/- का साइबर फ्रॉड हुआ था। आवेदक द्वारा तत्काल साइबर हेल्पलाइन नं0 1930 पर शिकायत पंजीकृत करायी गयी। साइबर टीम थाना देवगांव द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए फ्रॉड की धनराशि होल्ड करायी गयी तथा न्यायालय के आदेश के माध्यम से ₹49,907/- आवेदक के खाते में वापस कराये गये। शेष धनराशि को वापस कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

इसी क्रम में थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत आवेदक अमन गुप्ता निवासी खत्रीटोला के खाते से बिना उनकी जानकारी के ₹48,500/- की धनराशि कट गयी थी। आवेदक द्वारा तत्काल साइबर हेल्पलाइन नं0 1930 पर शिकायत दर्ज करायी गयी। थाना कोतवाली की साइबर टीम द्वारा शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ₹4,500/- की धनराशि आवेदक के खाते में वापस करायी गयी।

इस प्रकार दोनों प्रकरणों में कुल ₹54,407/- की धनराशि पीड़ितों को वापस करायी गयी। धनराशि वापस मिलने पर पीड़ितों द्वारा आजमगढ़ पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम—

थाना देवगांव: थानाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह, उ0नि0 पंकज कुमार सिंह, का0 विपिन यादव, रि0का0 प्रवीण कुशवाहा एवं रि0म0का0 नन्दिनी तिवारी।

थाना कोतवाली: उ0नि0 सागर कुमार रंगू, का0 नीरज पटेल एवं का0 राजन कुमार गौड़ा।

आमजन से अपील: साइबर फ्रॉड होने पर बिना देरी किये तत्काल साइबर हेल्पलाइन नं0 1930 पर शिकायत करें अथवा www.cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करायें तथा अपने संबंधित बैंक को भी सूचित करें।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक-26.09.2026

थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित ₹50 लाख की ठगी का आरोपी अभियुक्त अभिनव सिंह उर्फ मन्टू गिरफ्तार

जमीन दिलाने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई

थाना सिधारी पुलिस ने भंवरनाथ रोड, बैठौली के पास से गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सिधारी पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त अभिनव सिंह उर्फ मन्टू पुत्र जयप्रकाश सिंह, निवासी तिवारीपुर, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़, उम्र 41 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

घटना/गिरोह का विवरण-

गिरोह सरगना अभिनव सिंह उर्फ मन्टू द्वारा अपनी सह-अभियुक्ता ऋतिका सिंह के साथ मिलकर संगठित आपराधिक गिरोह बनाया गया था। गिरोह द्वारा जमीन बेचने के नाम पर फर्जी खतौनी दिखाकर लोगों से रुपये लिये जाते थे तथा जमीन की रजिस्ट्री न होने पर रुपये वापस मांगने पर फर्जी चेक देने, गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने के आरोप में अभियोग पंजीकृत हैं।

थाना सिधारी पर पंजीकृत मु०अ०सं०- 431/2025 में एक व्यक्ति से जमीन बेचने के नाम पर ₹50 लाख, थाना कोतवाली में पंजीकृत मु०अ०सं० 259/2025 में ₹25 लाख तथा थाना सिधारी में पंजीकृत मु०अ०सं० 216/2025 में ₹35 लाख लिये जाने के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। उक्त आपराधिक गतिविधियों के संबंध में गैंगचार्ट अनुमोदित होने के उपरान्त थाना सिधारी पर दिनांक 25.09.2026 को मु०अ०सं०- 391/2026 धारा 2(ख)(1)/3(1) गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

उ०नि० मृत्युन्जय सिंह मय हमराह द्वारा वांछित अभियुक्त की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर भंवरनाथ रोड, बैठौली के पास से दिनांक 26.09.2026 को समय करीब 00:50 बजे अभियुक्त अभिनव सिंह उर्फ मन्टू को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 391/2026 धारा 2(ख)(1)/3(1) गैंगेस्टर एक्ट, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

- मु०अ०सं० 259/2025 धारा 318(4)/352/351(3) बीएनएस, थाना कोतवाली आजमगढ़।
- मु०अ०सं० 216/2025 धारा 406 भा०द०वि०, थाना सिधारी आजमगढ़।
- मु०अ०सं० 431/2025 धारा 319(2)/318(4)/336(3)/316(2)/351(3)/352 बीएनएस, थाना सिधारी आजमगढ़।
- मु०अ०सं० 144/2026 धारा 318(4) बीएनएस, थाना सिधारी आजमगढ़।
- मु०अ०सं० 323/2026 धारा 30 आर्म्स एक्ट, थाना सिधारी आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अभिनव सिंह उर्फ मन्टू पुत्र जयप्रकाश सिंह, निवासी तिवारीपुर, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़, उम्र 41 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-उ०नि० मृत्युन्जय सिंह, का० रामहरीश यादव, का० हिमांशू, थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक-26.09.2026

थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़

मोटरसाइकिल चोरी कर पार्ट्स अलग-अलग कर बेचने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार
चोरी की मोटरसाइकिल के पार्ट्स, पहिया-टायर, चेन-स्पॉकेट, शॉकर, बैट्री व अन्य सामान बरामद
थाना बिलरियागंज पुलिस ने गौरी नहर पुलिया के पास से दोनों अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बिलरियागंज पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी कर उसके पार्ट्स अलग-अलग कर बेचने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किये गये मोटरसाइकिल के विभिन्न पार्ट्स एवं जामा तलाशी में ₹400/- नकद तथा मोटरसाइकिल खोलने के उपकरण बरामद किये गये।

गिरफ्तारी का विवरण-

थाना बिलरियागंज पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर गौरी नहर पुलिया, ग्राम गुलवा गौरी के पास दबिश देकर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा मोटरसाइकिल चोरी कर उसके पार्ट्स अलग-अलग कर बेचने की बात बतायी गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. राजू यादव उर्फ भोला यादव पुत्र दिनेश यादव, निवासी तुर्कपडरी, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 22 वर्ष।
2. आकाश यादव पुत्र मिट्टू यादव, निवासी नकीब खोजौली, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 19 वर्ष।
- 3.

बरामदगी-

एक अदद मोटरसाइकिल का रिम सहित पहिया व टायर, एक अदद मोटरसाइकिल चेन स्पॉकेट व चेन, एक जोड़ी मोटरसाइकिल शॉकर, एक अदद चेन कवर, एक अदद मैट्रिक्स बैट्री, मोटरसाइकिल के पिछले भाग का एक अदद प्लास्टिक फ्रेम, दो अदद मोटरसाइकिल ब्रैकेट, जामा तलाशी से ₹400/- नकद, चार अदद रिंच, एक अदद मोटरसाइकिल प्लग रिंच, तीन अदद पेचकस एवं एक अदद लोहे की छेनी।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 238/2026 धारा 313/317(2) बीएनएस, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1.अभियुक्त -राजू यादव उर्फ भोला यादव पुत्र दिनेश यादव नि0ग्राम तुर्कपडरी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध

- 1.मु0अ0सं0 378/23 धारा 323/504/506 भादवि थाना बिलरियागंज।
- 2.मु0अ0सं0 385/25 धारा 115(2)/333/351(3)/352 बीएनएस थाना बिलरियागंज।
- 3.मु0अ0सं0 399/24 धारा 137(2)/65(1)/87 बीएनएस व 3/4 (2) पाक्सो एक्ट व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट थाना कसानगंज।

2. अभियुक्त - आकाश यादव पुत्र मिट्टू यादव नि0ग्राम नकीब खोजौली थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

- 1.मु0अ0सं0 200/26 धारा 305/317(2)/331(4) बीएनएस थाना बरदह थाना बिलरियागंज आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 अक्षयदीप सिंह, उ0नि0 संतोष पाठक, हे0का0 गांधी यादव, हे0का0 दीपक कुमार, का0 राकेश कुमार वर्मा, हे0का0 जाविर एकबाल, का0 रामबाबू यादव एवं का0 सुमित राव, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक-26.09.2026

थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़

कई वर्षों से फरार चल रहे स्थायी वारंटी फिरोज अहमद गिरफ्तार

माननीय न्यायालय द्वारा वर्ष 2025 में जारी स्थायी वारंट के अनुपालन में थाना देवगांव पुलिस की कार्रवाई

जिवली मोड़ के पास से पुलिस टीम ने स्थायी वारंटी को हिरासत में लिया

माननीय न्यायालय अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय कोर्ट नं0-01, जनपद आजमगढ़ द्वारा अ0सं0 254/2016, धारा 182 सीआरपीसी में वसूली वारंटी फिरोज अहमद पुत्र अली अहमद, निवासी चेवार पश्चिम, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध दिनांक 04.08.2025 को स्थायी वारंट जारी किया गया था। उक्त वारंटी कई वर्षों से फरार चल रहा था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना देवगांव पुलिस टीम द्वारा की सूचना पर दिनांक 26.09.2026 को समय करीब 09:55 बजे जिवली मोड़ के पास से स्थायी वारंटी फिरोज अहमद को हिरासत में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- फिरोज अहमद पुत्र अली अहमद, निवासी चेवार पश्चिम, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- व0उ0नि0 योगेन्द्र सिंह यादव, हे0का0 सर्वेश सिंह, थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।

